

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067 Email: estt6-hg@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in दिनांक : 19 अगस्त, 2021

फा. संख्या : डी-12/16/1/2012-स्था.VI., खंड-II

ज्ञापन

| विषय : | क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना-2006 के कार्यान्वयन से संबंधित परिशोधित दिशानिर्देश - |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टाई-अप व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्टीकरण। |

पेंशनभोगियों और पेंशनभोगियों के संघ से परिशोधित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से पहले पूर्व की पद्धति, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गुरूग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अस्पतालों को निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली नामिकायत करता था और इन क्षेत्रों के संबंधित अस्पतालों द्वारा पेंशनभोगियों को इन टाई-अप अस्पतालों में रेफर किया जाता था, के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टाई-अप व्यवस्थाओं हेतु अनुरोध के विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

184वीं बैठक में निगम द्वारा अनुमोदित परिशोधित दिशानिर्देशों में **पैरा बी(4)** में निर्धारित प्रावधान अनुसार संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली सहित, को पेंशनभोगियों को उनकी हकदारी के अनुसार नजदीकी क.रा.बी.निगम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के परामर्श से तृतीयक देखभाल सहित सभी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए सीजीएचएस/सीएसएमए/राज्य सरकार से अनुमोदित निजी अस्पतालों के साथ आवश्यक टाई-अप व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस संबंध में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पेंशनभोगियों और पेंशनभोगियों के संघ के अन्रोध पर विचार करते हुए महानिदेशक ने क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना, 2006 के नियम (9) में उन्हें निहित शक्तियों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टाई-अप व्यवस्थाओं के लिए केंद्रीय प्राधिकरण होने के नाते निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली की पूर्व की पद्धति के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क.रा.बी.निगम पंशनभोगियों के लिए टाई-अप व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु परिशोधित दिशानिर्देशों के तहत क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।



सेवा में,

- 1. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी)।
- 2. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/नोएडा/के.के.नगर।
- 3. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/व्यावसायिक रोग केंद्र।
- सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा संस्थान।
- 5. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(वित्त)।
- 6. संयुक्त निदेशक, स्था.-5, मुख्यालय।
- 7. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त(का. एवं प्रशा.)/बीमा आयुक्त(रा.प्र.अ.)/बीमा आयुक्त(राजस्व)/बीमा आयुक्त(संपत्ति प्रबंधन प्रभाग)/बीमा आयुक्त(सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) के प्रधान व्यक्तिंगत सचिव/ व्यक्तिंगत सचिव। ।
- 8. संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी परिसंघ/संघ को।
- 9. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067 Email: <u>estt6-hq@esic.nic.in</u> Website: <u>www.esic.nic.in</u> / <u>www.esic.in</u>

F. No.:D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II

Dated: 19th August, 2021

MEMORANDUM

Subject : Revised guidelines relating to implementation of ESIC Pensioner Medical Scheme-2006- Clarification regarding tie-up arrangements in DELHI NCR.

Various references have been received from pensioners and Pensioners' Association requesting for tie-up arrangements in DELHI NCR as per previous practice held before the implementation of Revised Guidelines in which D(M)D used to empanel hospitals situated in Delhi, Noida, Ghaziabad, Sahibabad, Gurugram, Manesar, Faridabad and other NCR Region and pensioners were referred to these tie-up hospitals by the respective hospitals of these regions.

The provision laid in **Para B(4)** in the Revised Guidelines approved by the Corporation in 184th Meeting, the Regional Directors of the respective regions including that of Delhi has been entrusted the work of ensuring necessary tie-up arrangement with CGHS/CSMA/State Govt. approved private hospitals to ensure availability of all medical facilities including tertiary care to pensioners as per their entitlement in consultation with the M.S. of the nearest ESIC Hospital.

In this connection, considering the request of pensioners and pensioners' association of DELHI NCR, Director General has appointed the Regional Director, Regional Office, Delhi as Nodal Officer under Revised Guidelines for Delhi NCR to ensure tie-up arrangements for ESIC Pensioners of Delhi NCR as per earlier practice carried out by D(M)D being the central authority for tie-up arrangements for Delhi NCR as per powers vested to him in Rule (9) of ESIC PMS,2006.



Τo,

- 1. All Regional Directors/Dir.(I/c)/Jt. Dir. (I/c)/Dy. Dir.(I/c) of ROs/SROs.
- 2. D(M)D/D(M) NOIDA/ K.K. Nagar.
- 3. All Medical Superintendents ESIC Hospitals/ESIC Model Hospitals/ODCs.
- 4. All Deans, Medical Educational Institutions.
- 5. Jt. Director/Dy. Director (Fin.) of all Regional Offices/ Sub-Regional Offices/Hospitals/ Medical Educational Institutions.
- 6. Jt. Director, E-V, Hqrs. Office.
- 7. PPS/PS to DG/FC/CVO/M.C./I.C.(P&A)/I.C.(NTA)/I.C.(Revenue)/I.C.(PMD)/IC(ICT).
- 8. ESIC Pensioners' Federation / Associations through concerned regions.
- 9. Website Content Manager for uploading on the website of ESIC.